# बिहार सरकार
## नगर विकास एवं आवास विभाग

## ।। संकल्प ।।

**विषयः– केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) को पुनर्नामित नाम ''दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन''(DAY-NULM) के नाम से क्रियान्वित किये जाने, योजना को 42 NULM शहरों के अतिरिक्त शेष सभी नगर निकायों में भी कार्यान्वित किये जाने तथा उस पर अनुपातिक राज्यांश की राशि का व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित राशि ₹75.00 करोड़ के व्यय की स्वीकृति।**

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना को पुनर्नामित कर ''दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन'' (DAY-NULM) रखे जाने का निर्णय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (MoHUPA) भारत सरकार के पत्र सं0 K-14011/2/2012-UPA (FTS-5196) दिनांक–19.02.2016 द्वारा संसूचित है। इसके अंतर्गत योजना के सभी घटकों अथवा कुछ घटक का कार्यान्वयन पूर्व से अच्छादित 42 नगर निकायों के अतिरिक्त राज्य के शेष अन्य नगर निकायों में भी कार्यान्वित किये जाने है। इसके लिए केन्द्र एवं राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी संशोधित वित्तीय संरचना के अनुसार 60:40 अनुपात में होगा। योजना के अधीन प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना के अनुसार केन्द्रांश की राशि केन्द्र सरकार राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA)''बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA)'' को विमुक्त करेगी।

2. सम्प्रति NULM योजना राज्य के सभी जिला मुख्यालय शहर तथा एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले 42 शहर में लागू है, परन्तु संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार इस योजना को राज्य के सभी नगर निकायों में कार्यान्वयन किया जाना है। DAY-NULM योजना के कार्यान्वयन की अवधि 5 वर्षों की है।

3. संशोधित वित्तीय संरचना के अनुसार DAY-NULM योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 60:40 के अनुपात में वित्तीय अनुदान दी जायेगी। केंद्रांश की राशि प्रत्येक वर्ष समर्पित किये गये वार्षिक कार्य योजना के आधार पर प्राप्त होगी। योजना के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए अवयवों के अनुसार वित्तीय प्रावधानों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन राज्य शहरी आजीविका मिशन (SULM) की कार्यपालिका समिति की अनुशंसा के आलोक में की जा सकेगी तथा इस तरह के प्रस्ताव MoHUPA के अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।

वर्ष 2015–16 में योजना के अधीन 25.73 करोड़ राशि प्राप्त हुआ है तथा रू0 2558.61 लाख की निकासी की गयी है। प्राप्त राशि की उपयोगिता प्रमाण–पत्र मंत्रालय एवं अन्य संबंधित कार्यालय को विहित प्रपत्र में बुडा द्वारा अवश्य उपलब्ध करा दिया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY NULM) कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गए है। योजना के अधीन मुख्य रूप से निम्न घटकों (Component) को शामिल किया गया है–

I **सोशल मोबिलाइजेशन & इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट (SM&ID)**– शहरी गरीबों के सामाजिक उत्थान के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHG) का गठन, वार्ड/स्लम के स्तर पर Area Level Fedration (ALF) तथा शहर के स्तर पर

City Level Federation (CLF) का गठन किया जाएगा। इनके वित्तीय संवर्द्धन/उत्थान हेतु बैंक के साथ इनका जुड़ाव किया जाएगा, ताकि क्रेडिट, वित्तीय साक्षरता, बीमा इत्यादि सुविधाऐं दी जा सके। स्वयं सहायता समूहों तथा संघों के गठन एवं क्षमतावर्धन हेतु Resource Organization स्वायत्त निबंधित संस्थाऐं हो सकती है अथवा पहले से बने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के संघ भी हो सकते हैं। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के गठन, 2वर्षों तक देख–रेख, समूह के सदस्यों के प्रशिक्षण, बैंक से जुड़ाव एवं संध के निर्माण पर अधिकतम 10,000 रूपये की राशि प्रति समूह तथा 50,000 रूपये की दर से प्रति ALF चक्रचालित राशि (Revolving Fund) दी जायेगी । ALF/CLF के सदस्यों के क्षमता विकास के लिए प्रति सदस्य औसतन 7500/– रूपये की राशि निर्धारित की गयी है। शहरी गरीबों के उत्पाद तथा सेवाओं को बाजार से जोड़ने में तकनीकी सहायता City Livelihood Centre के द्वारा दिया जाएगा। City Livelihood Centre (CLC) की स्थापना हेतु 10 लाख रूपये का प्रावधान है।

II **कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन (EST & P)-** इस घटक में Skill Training Provider (STP) के माध्यम से शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार अथवा वेतनभोगी रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। कौशल प्रशिक्षण को Certification तथा Accreditation से जोड़ा गया है। प्रत्येक प्रशिक्षुओं के चयन से लेकर प्रशिक्षण उपरांत Certification करना तथा 12 महीने तक Tracking से जुड़े सभी खर्च निहित हैं। यह अनिवार्य है कि कौशल प्रशिक्षण संस्थान (STP) 70% Certified प्रशिक्षणार्थी को तीन महीने के अंदर रोजगार मुहैया कराये। प्रशिक्षु द्वारा चुने गए सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण की अवधि न्यूतम 400 घंटे की है और इसके अलावा 30 घंटे Soft Skill की प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। कौशल प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रों का चयन, कोर्स का निर्धारण संस्थानों का चयन एवं लाभार्थियों का चुनाव अनवरत प्रक्रिया है।

III **स्व–रोजगार कार्यक्रम (SEP)-** शहरी गरीबों को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तथा प्रारंभिक पूँजी कोष के लिए क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस संदर्भ में ब्रांडिंग, बाजारीकरण तथा उद्यम से जुड़े अन्य विषयों पर तकनीकी सहयोग देने का प्रावधान है।

IV **क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (CB&T)-** DAY-NULM के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर प्रशासी विभाग को तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त करने का शक्ति प्रदान किया गया है। कार्यान्वयन से जुड़े सभी कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए 7500/– रूपये प्रति प्रशिक्षु व्यय किये जा सकेंगे। प्रशिक्षण देने के लिए Resource Agencies को सूचीबद्ध किया जाना है।

V **शहरी गरीबों के लिए आश्रय स्थल (SUH)-** शहरी क्षेत्र में बेघरों के लिए सभी सुविधा से लैस 24x7 आश्रय स्थल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सरकारी कार्यक्रमों से भी जोड़ा जायेगा। आश्रयघर निर्माण, पहले से बने आश्रय घरों के जीर्णोद्धार अथवा देख–रेख के लिए योजना पर लागत राशि का 60% केन्द्र तथा 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। आश्रय घरों की देख–रेख नगर निकायों अथवा नगर निकाय के द्वारा चुनी गयी एजेंसी के माध्यम से की जायेगी। इस हेतु 50 आश्रितों के लिए चालाये जा रहे आश्रय घर पर 6 लाख रू0 वार्षिक व्यय का प्रावधान है। 6 लाख से अधिक खर्च की जिम्मेवारी राज्य सरकार/नगर निकाय की होगी। आश्रितों की आय के आधार पर क्षमतानुसार आश्रितों से भी सहयोग राशि लिया जायेगा।

VI **शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को सहयोग (SUSV)**- फुटपाथ विक्रेताओं के जीविकोपार्जन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उनकी क्षमता विकास, वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी पहचान निर्धारित करना तथा Town Vending Committee द्वारा उनका निबंधन एवं पहचान पत्र निर्गत किया जाना है। साथ ही शहर में वेंडिंग जोन की पहचान कर सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ वेंडिंग जोन विकसित करने का प्रावधान किया गया है।

VII **नवोन्मेषी एवं विशेष परियोजना (Innovetive and special Project)**- इस Component के अधीन शहरी आजीविका प्रोत्साहन के लिए Public Private Community Partnership (PPCP) के माध्यम से नयी एवं विशेष प्रकार की परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये जा सकते हैं, जिस पर राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकेगा। इस मद का व्यय पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस पर भारत सरकार का ही प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

VIII **प्रशासकीय तथा अन्य खर्च (A&OE)**- इस योजना की 2% राशि मिशन के अनुश्रवण, नियंत्रण, MIS, Database, E-Tracking तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए व्यय किया जा सकता है।

प्रचार प्रसार (Information Education and Communication) - कार्यक्रम के विस्तृत प्रचार प्रसार के लिए प्रावधानित राशि का 3% राशि इस मद में खर्च किया जा सकता है।

4. **प्रशासकीय ढांचा** – राज्यस्तर पर "राज्य शहरी आजीविका मिशन (SULM)", बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) को नामित किया गया है। यह एक स्वायत संस्था के रूप में विभागीय प्रधान सचिव/सचिव की देख रेख में DAY-NULM की गतिविधियों का संचालन करेगी। SULM का प्रबंधन राज्य मिशन निदेशक द्वारा किया जाएगा। SULM को मार्गदर्शन प्रदान करने, समीक्षा तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं योजनाओं के साथ समन्वय निश्चित करने के लिए दो स्तरीय ढ़ाँचे यथा शासकीय परिषद (GC) एवं कार्यपालिका समिति (EC) का प्रावधान है। कतिपय संशोधन के साथ 23 सदस्यीय कार्यपालिका समिति (EC) तथा 17 सदस्यीय शासकीय परिषद (GC) का गठन किया जा चुका है। शासकीय परिषद एवं कार्यपालिका समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त है, जबकि निदेशक बुडा, इसके मिशन निदेशक–सह–संयोजक हैं। इसी प्रकार शहरी निकाय स्तर पर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यपालिका समिति का गठन प्रक्रियाधीन है।

राज्य स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति (TAG) का गठन किया जाना है जिसमें दो सदस्यों का मनोनयन भारत सरकार के शहरी गरीबी एवं उपशमन मंत्रालय द्वारा किया जाना है। इसी प्रकार शहरी निकाय स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति (TAG) का गठन किया जाना है।

5. **परिचालन ढ़ाँचा**:–Project Management Consultant (PMC) का चयन DAY-NULM के मार्गदर्शिका में दिए गए पात्रता शर्तों के अनुसार किया गया है। DAY-NULM के दिशानिर्देश के अनुरूप योजना कार्यान्वयन के लिए राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (SMMU) तथा नगर मिशन प्रबंधन इकाई (CMMU) के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों को परामर्शी द्वारा नियोजित किया जायेगा।

योजना से आच्छादित राज्य के 42 नगर निकायों के साथ–साथ शेष सभी नगर निकायों में योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। 50 हजार से कम आवादी वाले नगर निकाय में नजदीकी नगर निकाय के CMMU कर्मी अथवा ऐसे नगर निकाय अपने संसाधन से CMMU कर्मी की व्यवस्था करेंगे। इसके अतिरिक्त नगर निकाय के प्रत्येक

(402)

3000 गरीब परिवारों पर एक सामुदायिक संगठक (Community Organizer) उपलब्ध कराये जाऐंगे, परन्तु प्रत्येक नगर निकाय के लिए एक सामुदायिक संगठक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाऐंगे।

यह मिशन विभिन्न अवयवों के अंतर्गत राज्य के 42 शहरी नगर निकायों के साथ–साथ राज्य के सभी नगर निकायों में लागू किया जा रहा है। मिशन के लागू होने पर शहरी गरीबी में कमी आएगी, बेघरों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण किया जाएगा एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर DAY-NULM के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य किया जाएगा।

6. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–31.05.2016 के मद सं0–24 के रूप में सम्मिलित संलेख प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

7. अतः केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) को पुर्ननामित नाम "दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन"(DAY-NULM) के नाम से क्रियान्वित किये जाने, योजना को 42 NULM शहरों के अतिरिक्त शेष सभी नगर निकायों में भी कार्यान्वित किये जाने तथा उस पर अनुपातिक राज्यांश की राशि का व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित राशि ₹75.00 करोड़ के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

**आदेश–** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/6/2016

(चैतन्य प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/NULM-01/2013- 1193 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक– 21/6/16

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 संलग्न) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की 200 प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

21/6/2016

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 04/NULM-01/2013- 1193 पटना, दिनांक– 21/6/16

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सचिव/संयुक्त सचिव आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/निदेशक, बुडा के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/2016

सरकार के प्रधान सचिव।